लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / शि.क. / 2011 / 3ध1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14/6/11

सचिव,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल (म.प्र.)

विषय :– अध्यापक संवर्ग के निःशक्त अध्यापकों को जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र के संबंध में।

---0---

विषयान्तर्गत स्थानीय निकायों यथा पंचायत / नगरीय के अधीन नियुक्त अध्यापक संवर्ग के निःशक्त अध्यापकों को एक निकाय से दूसरे निकाय में संविलियन की पात्रता शासन आदेश के अनुक्रम में प्राप्त है। संविलियन की अनुमति जारी करने के लिए निःशक्तता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। संविलियन के प्रकरणों का परीक्षण करने पर यह दृष्टिगत हुआ है कि बड़े पैमाने पर श्रवण बाधित, कम दृष्टि एवं स्पाइंडोलाईटिस के प्रकरणों में बड़ी संख्या में शासकीय चिकित्सकों द्वारा प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे है, कुछ प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति संलग्न है। विशेषकर यह प्रमाण पत्र ग्वालियर एवं चबंल संभाग तथा रीवा संभाग से प्राप्त हो रहे है। जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्रों की संख्या को देखते हुए यह प्रतीत हो रहा है कि इन प्रमाण पत्रों का उपयोग केवल संविलियन के लाभ को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। शासन स्तर से इस आशय का एक पत्र सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जारी किया जाना अपेक्षित है कि अध्यापक संवर्ग के निःशक्त अध्यापकों को प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व गंभीरता से निःशक्त अध्यापकों की जांच कर प्रमाण पत्र जारी किया जाए ताकि अपात्र अध्यापक संविलियन की सुविधा से लाभांवित न हो सकें।

अतः उक्तानुसार निर्देश सर्व संबंधितों को जारी करने का कष्ट करें।

(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृष्ठा.क्रमांक / शि.क. / 2011 / 3ध2
प्रतिलिपि :–

भोपाल, दिनांक 14/6/11

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.)
2. समस्त कलेक्टर (म.प्र.)

आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.